

## **District Court, Chamoli-Gopeshwar**

### **“Do's and Don'ts”**

#### **-eGate Pass-**

- 1.** Full Name of visitor, his/ her Email Address, full address, valid mobile number, passport size photo, ID proof number and purpose of visit in detail are mandatory. In absence of any of said required details, the eGate Pass will not be issued.
- 2.** The passport size photo should be clear and recent one, otherwise eGate Pass will not be issued.
- 3.** For hearings/ arguments before any Court, the visitor must apply for eGate Pass not later than 24 hours prior to the date of hearing.
- 4.** No eGate Pass shall be issued to any advocate, whose name is not mentioned in the cause list of the courts on the given day.
- 5.** If for any reason, name of any advocate does not get published in the cause list, he may mention this fact while applying for eGate Pass.
- 6.** For any other work, the visitors are required to apply for the eGate Pass, a day before till 01:00 PM.
- 7.** For appearance/ argument in any urgent matter viz. Remand, Bail, Release of Vehicle, Injunctions/ Stay matters, etc. and other matters relating to investigation, the visitors may apply for the eGate Pass same day till 11:30 AM.
- 8.** For depositing the hard copies of matters, the eGate Pass shall not be required as one drop box has been placed near the main gate also.

**Link for applying- eGate Pass- [https://egatepass.uk.gov.in/ apply\\_e\\_pass.php](https://egatepass.uk.gov.in/apply_e_pass.php)**

## जिला एवं सत्र न्यायालय, चमोली-गोपेश्वर।

### ई-गेट पास

#### **“क्या करें और क्या न करें”**

1. ई गेट पास हेतु आगंतुक का पूरा नाम, पूरा पता, वैध मोबाइल संख्या, वैध ई-मेल पता, पासपोर्ट साइज फोटो, आई0डी0 कार्ड संख्या एवं आगमन के उद्देश्य का विस्तारपूर्वक विवरण अंकित किया जाना अनिवार्य है, जिसके अभाव में किसी भी दशा में ई गेट पास जारी नहीं किया जाएगा।
2. पासपोर्ट आकार का फोटो स्पष्ट और नवीनतम होना चाहिए, अन्यथा ईगेट पास जारी नहीं किया जाएगा।
3. न्यायालय में मामलों में सुनवाई/बहस हेतु आगंतुक को सुनवाई की तारीख से 24 घण्टे पूर्व के अन्तर्गत ईगेट पास के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा।
4. किसी भी अधिवक्ता को ईगेट पास जारी नहीं किया जाएगा, यदि उनका नाम न्यायालय की उस दिवस की वाद सूची में वर्णित न हो।
5. यदि किसी कारण से किसी भी अधिवक्ता का नाम न्यायालय की वाद सूची में प्रकाशित नहीं होता है, तो वह ईगेट पास के लिए आवेदन करते समय इस तथ्य का उल्लेख कर सकता है।
6. किसी अन्य कार्य के लिए, आगंतुकों को ईगेट पास के लिए एक दिन पूर्व दोपहर 01:00 बजे तक आवेदन करना होगा।
7. अति आवश्यक मामले जैसे –रिमांड, जमानत, वाहन की रिहाई, व्यादेश आदि एवं विवेचना से सम्बन्धित मामलों में सुनवाई के लिए, आगंतुक उसी दिवस को प्रातः 11:30 बजे तक ईगेट पास हेतु आवेदन कर सकता है।
8. मामलों की हार्ड कॉपी जमा करने के लिए ईगेट पास आवश्यक नहीं होगा। न्यायालय के मुख्य गेट के निकट भी एक ड्रॉप बॉक्स स्थित किया गया है।

**नोट— ईगेट आवेदन हेतु लिंक— [https://egatepass.uk.gov.in/apply\\_e\\_pass.php](https://egatepass.uk.gov.in/apply_e_pass.php)**